एम/448,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स देवेन्द्र इक्विपमेंट, प्रो0–श्री कंचन कुमार सिंह, पिता–श्री देवेन्द्र कुमार, पता–एम/448, लक्ष्मी निवास, रोड नंबर–04, कंकरबाग, जिला–पटना द्वारा पटना सोन–08 बालू घाट, मौजा–जलपुरा मसौढ़ा 02, अंचल–पालीगंज, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 08.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2247/2023, dt. 27.01.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 08.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 03.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (450 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

| कमांक | नाम एवं पता | प्रतिकिया/सुझाव |
|---|---|---|
| 1. | श्री अमरेश शर्मा, ग्राम–जलपुरा, जिला–पटना। | इनके द्वारा बताया गया कि धूल की समस्या का क्या उपाय किया जायेगा।<br>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पानी का छिड़काव किया जायेगा, बालू लदे वाहन को तिरपाल से ढँककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा, वृक्षारोपण भी किया जायेगा। |
| 2. | श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम–जलपुरा, जिला–पटना। | इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन होने से एन.एच. का रास्ता खराब हो गया है। धूल उड़ने की समस्या बनी रहती है।<br>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क तक का पहुँच–पथ का मरम्मत संवेदक द्वारा पाँच साल तक किया जायेगा। एन.एच. एवं एस.एस. का मरम्मत सरकार के द्वारा किया जाता है। |
| 3. | श्री उमा शंकार, ग्राम–जलपुरा, जिला–पटना एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–जलपुरा, जिला–पटना। | इनके द्वारा बताया गया कि खनन होने से जलस्तर नीचे चला गया है, गाँव में पीने का पानी का दिक्कत हो गया है। पानी का व्यवस्था होनी चाहिए।<br>खनिज विकास पदाधिकारी, ~~भोजपुर~~ पटना द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि |

| | | |
|---|---|---|
| | | से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा। |
| 4. | श्री भूषण कुमार, ग्राम–जलपुरा, जिला–पटना। | इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से सरकार को आमदनी होती है, पर ग्रामीणों का खेत खराब हो जाता हैं। सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र का विकास पर ध्यान देना चाहिए।<br>खनिज पटना विकास पदाधिकारी, ~~भोजपुर~~ द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा। |
| 5. | श्री दिलीप कुमार, ग्राम–जलपुरा, जिला–पटना। | इनके द्वारा बताया गया कि गाँव के नहर में पुल है, जो क्षतिग्रस्त हो गया है, इसका मरम्मत किया जाना चाहिए।<br>खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नहर के पुल का मरम्मत जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। जल संसाधन विभाग से अनुमति प्राप्त कर बालू परिवहन हेतु संवेदक द्वारा लोहा का पुल बनाया जायेगा। वर्षात के दिनों में खनन नहीं होता है। पुल पर आवागमन बंद रहेगा। लेकिन गाँव का सर्विस पुल बंद नहीं होगा। |

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

ग्रामीण लोग गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना के पूछने पर आम जनता द्वारा हाथ उठाकर परियोजना चालू करने की सहमति दी गयी।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि लोक–सुनवाई में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बहूमूल्य सुझाव प्राप्त हुआ है, यह अच्छी बात है।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

| | |
|---|---|
| 9.6.23 | 9/6/23. |
| क्षेत्रीय पदाधिकारी | अपर जिला दण्डाधिकारी |
| बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना | पटना |

# उपस्थिति सूची

मेसर्स देवेन्द्र इक्विपमेंट, प्रो०-श्री कंचन कुमार सिंह द्वारा सोन-08 बालू घाट, मौजा-जलपुरा मसौढ़ 2, अंचल-पालीगंज, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अचंल कार्यालय, पालीगंज, दिनांक 08.06.2023 समय-03:00 P.M

| क्र०सं० | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | अमिताभ सिन्हा | अपर जिला उपाधिकारी; पटना | [signature] 8/6/23 |
| 2. | आशीष कुमार गुप्ता | संयोजक पदाधिकारी, बि०रा०प्र० नि०पर्षद, पटना | [signature] 8-6-23 |
| 3. | कुमार गौरव | खनिज विकास पदाधिकारी पटना। | [signature] 08-6-23 |
| 4. | अमेया कुमारी | खान निरीक्षक | Ameya Ku. 08/06/'23 |
| 5. | नीतीश कुमार | P&M Solution, Raja Bazar, Patna | Nitish Ku. |
| 6. | [illegible] | [illegible] | [signature] |
| 7. | [illegible] | [illegible] | |
| 8. | [illegible] मिश्रा | P & M Solution Raja Bazar, Patna | [signature] |
| 9. | शिव प्रताप | Amhara, Bihta | [signature] |
| 10. | चन्दन कुमार सिंह | देवेन्द्रा इक्विपमेंट पटना | [signature] |
| 11. | मनोज कुमार | बिहटा पटना | [signature] |
| 12. | अभिजीत कुमार | पालीगंज (पटना | Akay |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | अमरेन्द्र शर्मा | जलपुरा, फैजाबाद | अमरेन्द्र शर्मा |
| 14. | सुरेन्द्र कुमार | जलपुरा - पैठानटोली | सुरेन्द्र कुमार |
| 15. | रविशंकर कुमार | अम्हारा | [illegible] |
| 16. | सूरज कौन | मसौढ़ी | [illegible] |
| 17. | Jitendra Kumar | Jalpura | Jitendra Kumar |
| 18. | Awdesh Kumar | नवही | awdesh |
| 19. | CHINKU kumar | नवही | [illegible] |
| 20. | Gautam Kr. | AMHARA | Gautam Kr. |
| 21. | सुमन कुमार | पटेल | [illegible] |
| 22. | आशीष कुमार | बेहर | [illegible] |
| 23. | अशोक कुमार | पानेहपुर | आलोक |
| 24. | Birendra-Kumar | Bihta | [illegible] |
| 25. | Shyam-KR | Jal Pura | Shyam-KR. |
| 26. | Vishnofeather | Bihar | [illegible] |
| 27. | Hemant Kumar | Jalpura | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | राघवेन्द्र | जलपुरा | राघवेन्द्र |
| 29. | पिन्टू कुमार | जलपुरा | पिन्टू कुमार |
| 30. | शिवजी कुमार | जलपुरा | शिवजी कुमार |
| 31. | उमाशंकर शर्मा | जलपुरा | उमाशंकर शर्मा |
| 32. | रंधीर सिंह | जलपुरा | रणधीर सिंह |
| 33. | | | |
| 34. | | | |
| 35. | | | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |
| 39. | | | |
| 40. | | | |
| 41. | | | |
| 42. | | | |